



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276066  
CG-DL-E-08092026-276066

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]  
No. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/ भाद्र 17, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

आ.अ. 35(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 09.09.2026 को अधिसूचित होने वाले तमिलनाडू के 35-मदुरांटकम (अ.जा.) और 101-धारापुरम (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पुडुचेरी की 09-थट्टानचावाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 70-रेजीनगर और 210-नन्दीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और असम के 09-नगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

[फा. सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

**O.N. 35(E).**—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that electors above the age of 85 years and persons with benchmark disability as already marked/flagged in the database of the electoral rolls of the State and who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by concerned Returning Officer, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the current **bye-elections to the 35-Madurantakam(SC) and 101-Dharapuram(SC) Assembly Constituencies in Tamil Nadu, 09-Thattanchavady Assembly Constituency in Puducherry, 70-Rejinagar and 210-Nandigram Assembly Constituencies in West Bengal and 09-Nagaon Parliamentary Constituency in Assam to be notified on dated 09.09.2026**, under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961.

[F. No. 52/2026/SDR/Vol.IV]

By Order,

S.B.JOSHI, Principal Secy.